राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 105/2023

भागीरथ आर. साहू **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.01.2023
आदेश की दिनांक : 10.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल.शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लोहावत, जोधपुर से सेवानिवृत्त हो चुका है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रधानाध्यापक के पद पर हुई थी और उससे वर्ष 2005–06 में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया और माह अक्टूबर, 2018 में अपीलार्थी को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई तथा उसे वेतन 98800/– निर्धारित किया गया, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री मुंशी खान जिनकी वर्ष 1993–94 प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई और उसे वर्ष 2002 में वेतनमान 8000–13500 निर्धारित किया गया। वर्ष 2007–08 में उसे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया तथा माह अक्टूबर, 2018 में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और उसका वेतन 101200/– निर्धारित किया गया, जो अनुलग्नक–3 से प्रकट होता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी श्री मुंशी खान से वरिष्ठ है और दोनों की पदोन्नति माह अक्टूबर, 2018 में एक साथ हुई। वेतनमान एवं योग्यता समान है परंतु श्री मुंशी खान को अधिक वेतन दिया गया है जो राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत है जिसके क्रम में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग से अनुरोध किया परंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिनांक 31.10.2022

को प्रत्यर्थी विभाग को डिमांड ऑफ जस्टिस का नोटिस भेजा गया जिसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ श्री मुंशी खान के समान वेतन का लाभ दिया जावे और अपीलार्थी का वेतन भी जिस तिथि से श्री मुंशी खान का वेतन निर्धारित किया गया है उसी तिथि से अपीलार्थी को भी वेतन परिलाभ आदि का लाभ प्रदान किया जावे तथा शेष राशि का भुगतान मय ब्याज सहित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लोहावत, जोधपुर से सेवानिवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य